

# समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)

फैक्स नं०-0612-2218900

Email : dampatnaarmssection@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

05-12-2013

आवेदिका श्रीमती सुषमा कुमारी, पति—श्री बिरेन्द्र कुमार, सा०—न्यू कुमार नर्सिंग होम, मेन रोड, अशोक नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना, स्थायी पता—गोनवा, थाना—नौबतपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—590/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—12.11.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—05.12.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि को सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक—05.12.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पटना जिला के नौबतपुर प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में न्यू कुमार नर्सिंग होम का संचालन पति के साथ करती हैं। आपराधिक तत्वों से बीच—बीच में मिल रही धमकियों के कारण अपने को सुरक्षित रखने के लिए वे शस्त्र धारण करना चाहती हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1679/गो०, दिनांक—18.08.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कंकड़बाग के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदिका की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका न्यू कुमार नर्सिंग होम की डॉक्टर हैं। तदोपरान्त आवेदिका के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदिका को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती सुषमा कुमारी, पति—श्री बिरेन्द्र कुमार, सा०—न्यू कुमार नर्सिंग होम, मेन रोड, अशोक नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना, स्थायी पता—गोनवा, थाना—नौबतपुर, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।